भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *159

उत्तर देने की तारीख 13 फरवरी, 2019

नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा

***159. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं को नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चयनित स्थान कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार की नेट न्यूट्रेलिटी फ्रेमवर्क के भीतर नि:शुल्क इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) ट्राई के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को नि:शुल्क डाटा प्रदान करने का मॉडल क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री

(श्री मनोज सिन्हा)

(क) से (ड.) एक विवरण सभा - पटल पर रख दिया गया है।

जारी..2/-

"नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा" के बारे में लोक सभा के दिनांक 13 फरवरी, 2019 के तारांकित प्रश्न संख्या *159 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) से (ड.) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 19.12.2016 को "ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क डाटा के प्रावधान के माध्यम से डाटा उपयोग को प्रोत्साहित करना" संबंधी विषय पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत की थी।

ये सिफारिशें "निशुल्क डाटा" पर परामर्श पत्र का परिणाम है जिसे दिनांक 19.05.2016 को ट्राई द्वारा स्वत: जारी किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के मुद्दे का समाधान किया जा सके और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की "डाटा सेवाओं के लिए भेदकारी टैरिफ निषेध नियमावली, 2016" का उल्लघंन किए बिना "नि:शुल्क डाटा" प्रदान करने के लाभों को प्राप्त करने वाले मॉडल (मॉडलों)का पता लगाया जा सके। ट्राई की सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए वहनीय अंतर को पाटने और डिजिटल साधनों को प्रोत्साहन देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक स्कीम की सिफारिश की गई है जिसके अंतर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए डाटा की एक उपयुक्त मात्रा जैसे 100 एमबी प्रति माह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा सके।
2. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से इस स्कीम के कार्यान्वयन की लागत को पूरा किया जा सकता है।
3. नि:शुल्क डाटा को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन स्कीमों की सुविधा के लिए तीसरे पक्ष (एग्रीगेटर) की आवश्यकता है जो टीएसपी के प्रति तटस्थ (एगनास्टिक) और अपने कार्यान्वयन में गैर-भेदभावपूर्ण हैं।
4. नि:शुल्क डाटा की स्कीम को टीएसपी के प्रति तटस्थ (एगनास्टिक) होना चाहिए, टीएसपी और एग्रीगेटर/सामग्री प्रदाता के बीच कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और उक्त डाटा को दिनांक 8 फरवरी, 2016 को अधिसूचित "डाटा सेवाओं के लिए भेदकारी टैरिफ निषेध नियमावली, 2016" में गतिरोध पैदा करने हेतु तैयार नहीं किया जाना चाहिए।
5. निम्नलिखित व्यवस्था की सिफारिश की जाती है
    - एग्रीगेटर को दूरसंचार विभाग के साथ रजिस्टर किए जाने की आवश्यकता होगी।
    - पंजीकृत कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
    - पंजीकरण की वैद्यता 5 वर्षों की होगी।
    - पंजीकृत कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी भी तरह से पंजीकरण को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तृतीय पक्ष को सुपुर्द अथवा हस्तांरित नहीं करेंगे।

दूरसंचार आयोग द्वारा दिनांक 08.09.2017 को आयोजित बैठक में सिफारिशों पर गौर किया गया और दूरसंचार विभाग के दिनांक 25.09.2017 के पत्र द्वारा स्पष्टीकरण/पुनर्विचार हेतु सिफारिशों को वापस ट्राई को भेजा गया। ट्राई ने दूरसंचार विभाग के उपर्युक्त संदर्भ के संबंध में अपना प्रत्युत्तर दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत किया।

डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने अपनी दिनांक 05.02.2019 को आयोजित हाल ही की बैठक में ट्राई के प्रत्युत्तर पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित कारणों से ट्राई के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है:

क) ट्राई की सिफारिश सं 1 एवं 2: बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किफायती डाटा सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में चिंता को कम किया गया है। अत:, देश में इंटरनेट पारिस्थितिकी (इकोसिस्टम) के समग्र विकास के लिए वहनीयता के बजाय कनेक्टिविटी, स्थानीय भाषा में सामग्री की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

ख) ट्राई की सिफारिश सं. 3, 4 एवं 5 : एग्रीगेटर मॉडल उन लोगों की ओर लक्षित है जो इंटरनेट के मौजूदा उपयोगकर्ता हैं लेकिन डाटा सेवाओं की कीमत के कारण उनका उपयोग सीमित हो सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वहनीयता से संबंधित मुद्दे को कम कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में वेबसाइट/पोर्टलों/एप्पों (एग्रीगेटर के अनुरूप) के माध्यम से छूट प्रदान करने हेतु एक जैसे मॉडल प्रचलित हैं जिसमें उपभोक्ताओं को वेबसाइट/पोर्टलों/एप्पों के माध्यम से लेन-देन करने पर छूट दी जाती है। वर्तमान में, प्रत्यक्ष रूप से कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है जो ऐसी वेबसाइट/पोर्टलों/एप्पों को नियंत्रित करे। अत:, पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

*****